न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

प्रार्थना–पत्र संख्याः–108 / 2020 दायर दिनांक 15.09.2020

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. बजरंलाल पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी सिलीकुड़ी पश्चिम बंगाल जरिये आममुख्त्यार पूर्णाराम पुत्र तिलोकाराम जाति प्रजापत निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. मजीद पुत्र अली खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. मनोज कुमार पुत्र नन्द किशोर 3. मुकेश कुमार पुत्र नन्द किशोर 4. राजेश कुमार पुत्र नन्द किशोर 5. शांति देवी पत्नि नन्द किशोर 6. विकास पुत्र झुमरमल 7. रंजना पुत्री झुमरमल 8. पिंकी पुत्री झुमरमल 9. सुलोचना देवी पत्नि झूमरमल 10. अमित कुमार पुत्र रामगोपाल 11. विपुल कुमार पुत्र रामगोपाल 12. शारदा देवी पत्नि रामगोपाल 13. गोपाल पुत्र सीताराम 14. शिवप्रसाद पुत्र सीताराम 15. सत्यनारायण पुत्र बिहारीलाल 16. जगमोहन पुत्र बिहारीलाल 17. पवन कुमार पुत्र बिहारीलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण खुनखुना तहसील डीडवाना। 18. बेगाराम पुत्र नन्दाराम जाति माली निवासी कुड़ली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 19. मोहनराम पुत्र नामालुम 20. लिछमणराम पुत्र नामालुम समस्त जाति जांगिड़ निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. बांबत् अपासत करने निर्णय बअनुवान मजीद बनाम मनोज कुमार, प्रार्थना–पत्र सं0 01 / 2015 निर्णय दिनांक [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:00:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2020 / 108
दायर दिनांक 15.09.2020 निर्णय दिनांक 23.12.2021
बजरंगलाल बनाम मजीद खां, वगैरा।

प्रार्थना–पत्र -
अन्तर्गत आदेश–09 नियम 13 व
सपठित धारा–151 C.P.C. तथा आदेश 47 C.P.C.

उपस्थितः–
1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मो0 अली शैरानी अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.12.2021

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, यह है कि प्रार्थी सिलीकुड़ी में निवास करता है व जरिये पावरनामा यह प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है।

यह है कि प्रार्थी के विरूद्ध मजीद द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का न्यायालय में पेश किया था। जिसके संबन्ध में आज दिन तक प्रार्थी के किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही हुआ।

यह है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को बिना सूचना दिये ही दिनांक 25.06.2018 को निर्णय पारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के संबन्ध में प्रार्थी को आज दिन तक किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई है।

यह है कि नियामानुसार प्रार्थी को नोटिस जारी किया जाना चाहिये था एवं नोटिस जारी किये जाने के पश्चात विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए नियमों की पालना करते हुए यह कार्यवाही करनी चाहिए एवं जो नोटिस जारी हुए वह प्रार्थी क`पते पर नही है व बाद तामिल भी नही है।

यह है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित है एवं प्रार्थी उक्त वाद को कनटेस्ट करना चाहता है एवं वास्तविक तथ्य रखकर न्यायालय को अवगत कराना चाहता है।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र में खातेदारान गंगा देवी की मृत्यु भी हो चुकी है। जिसके संबन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र में इन्द्राज नही है। यह है कि उक्त निर्णय की पालना हो जाती है तो प्रार्थी अपने अधिकारों से महरूम हो जायेगा तथा उसे अजहद नुकसान होगा। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 07.09.2020 को पटवारी का फोन आने पर दिनांक 09.09.2020 को नकल निर्णय प्राप्त करने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त निर्णय व प्रार्थना पत्र के संबन्ध में कोई जानकारी नही हुई।

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 25.06.2018 बअनुवान मजीद बनाम मनोज कुमार प्रकरण सं0 01 / 15 को निरस्त किया जाने का सादर आदेश फरमावे व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

अप्रार्थी सं0 2, 6, 11, 14, 15 17 की तरफ से वकील श्री दातार सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं0 3, 4, 5 7 ता 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 बावजुद ता[illegible] अनुपस्थित [illegible] खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस उभय पक्षका[illegible] बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को [illegible] प्रार्थना पत्र सं0 01 / 2015 अनवान मजीद बनाम मनोज कुमार का दि[illegible] 25.06.2018 को निर्णय पारित कर दिया तथा खातेदार गंगादेवी फौत हो चु[illegible] है जिसके संबन्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:00:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2020/108 दायर दिनांक 15.09.2020 निर्णय दिनांक 23.12.2021 बजरंगलाल बनाम मजीद खां, वगैरा।

में किसी प्रकार का प्रार्थना–पत्र में इन्द्राज नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनवान मजीद बनाम मनोज कुमार निर्णय दिनांक 25.06.2018 को निरस्त कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

वकील अप्रार्थी सं0 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को नोटिस विधिवत डाक से भेजे थे जो विधिवत तामिल हुए। प्रार्थी को भेजे गये नोटिस का पता सही है। प्रार्थी आज भी उसी पत्ते पर निवास करते है। खातेदार गंगादेवी के विधिक वारिसान प्रार्थना–पत्र 01/2015 उनवान मजीन बनाम मनोज कुमार में रेकर्ड पर आये हुए है। जो कि अप्रार्थी सं0 04 है। इसलिए मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नही हुआ है। प्रार्थी केवल मात्र इस प्रकरण को लम्बा करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का आदेश 09 नियाम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी को नोटिस विधिवत डाक से भेजे थे जो विधिवत तामिल हुए। प्रार्थी को भेजे गये नोटिस का पता सही है। प्रार्थी आज भी उसी पत्ते पर निवास करते है। खातेदार गंगादेवी के विधिक वारिसान प्रार्थना–पत्र 01/2015 उनवान मजीन बनाम मनोज कुमार में रेकर्ड पर आये हुए है। जो कि अप्रार्थी सं0 04 है। इसलिए मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नही हुआ है।

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 को खारिज किया जाना, हमारे मत में न्याय संगत प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 के तहत् प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना–पत्र सारहीन, आधारहीन व मयाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **23.12.2021** को सरे में इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:00:52 IST
Reason: SelfAttested

डीडवाना

Scanned by CamScanner